भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4251**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

जलपाईगुड़ी में उर्वरकों की आपूर्ति

4251. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में, विशेषकर चाय बागानों और कृषि क्षेत्रों में किसानों को समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार जलपाईगुड़ी में जैविक उर्वरकों और सतत् कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो इन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के आधार पर राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है। सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। हालांकि, राज्य के भीतर क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य द्वारा उर्वरकों का अंतर/अंत:-जिला वितरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जलपाईगुड़ी जिले में चाय बागानों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता सहित उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। तदनुसार उर्वरकों का आबंटन और आपूर्ति की जाती है।

(ख): सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए देश में प्राथमिकता के आधार पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस स्कीम के अंतर्गत ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन तक सहयोग प्रदान करने पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस स्कीम के अभिन्न अंग हैं। पीकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डाटा प्रबंधन, भागीदारी गांरटी प्रणाली-इंडिया प्रमाणन, मूल्य वर्धन, विपणन और प्रचार जैसे अलग-अलग घटकों को शामिल करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता तीन वर्ष की अवधि के लिए किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म ऑर्गेनिक आदानों के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीकेवीवाई योजना जलपाईगुड़ी जिले में भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के कार्यक्षेत्र के तहत, इस जिले के किसान धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं और संधारणीय कृषि की तकनीकों से परिचित हो रहे हैं।

****